दिसुम सकम
Disum Sakam
(केवल निजी वितरण के लिए)
Thursday, April 20, 2017

(Part II)
Insuring rights for community governance

In the ten Indian states where ***The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas)* Act**, *1996*, is applicable, **a comparative study** by **CR Bijoy** on the issue in ***part -I*** dealt with the *provisions in PESA its powers and responsibilities; in the Gram Sabha*, in the *Gram Sabha or Panchayats*, in the *Gram Sabha and Panchayts* and the *Panchayats* itself. A section also dealt with the *reality check of state compliance with PESA* and finally the *Constitutional violation.* This part indicates certain recommendations as the ***way forward.***

अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए : समुदायिक अभिशासन शासनप्रणाली की दिशा में
(भाग – 2)

Disum Sakam: 20170420 T-03 & 04

सी० आर० बिजोय

क्रमश: पिछले अंक अप्रैल 10, 2017 को प्रकाशित आलेख से आगे –

पिछले अंक में एक तुलनात्मक विश्लेषण केन्द्र के 'पेसा 1996' तथा दस प्रदेशों के पंचायती राज अधिनियम के बीच निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत *सी०आर० बिजोय* द्वारा विश्लेषण किया गया – पेसा प्रावधान की संरचना; केन्द्र के पेसा अन्तर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व : (क) ग्राम सभा; (ख) ग्राम सभा या पंचायत; (ग) ग्राम सभा और पंचायत; (घ) पंचायत; पेसा : एक वास्तविक परीक्षण या जांच; संवैधानिक अतिक्रमण; कानून जो गायब हो गया। इस अंक में परीक्षण में पाये गये केन्द्र और प्रदेशों के अधिनियम के बीच निर्मित खाई को पाटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत हैं।

आगे का मार्ग

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का नगरपालिकाओं के रूप में उन्नयन (बढ़ना)

(i) पाँचवीं अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार अथवा उपबन्ध 5 के अंतर्गत राज्यपाल सभी अनुसूचित क्षेत्र राज्यों को संविधान के 74वें संशोधन के पारित होने के बाद से सभी पंचायतों के नगरपालिकाओं के रूप में

उन्नयन को और भविष्य में ऐसे किसी उन्नयन को भी, संसद में नगरपालिकाओं के प्रावधानों का (अनुसूचित क्षेत्रों में प्रसार का) बिल पारित होने तक निरस्त करने का निर्देश जारी करते हैं

(ii) केन्द्र सरकार यथासंभव शीघ्र नगरपालिकाओं के प्रावधानों का (अनुसूचित क्षेत्रों में प्रसार का) बिल संसद में पेश करने के लिए कदम उठाएगी ।

2. अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर ग्राम सभा के ऊपर की संरचनाएँ

(i) जनजातीय मामलों का मंत्रालय पंचायत राज मंत्रालय के साथ मिलकर पाँचवी और छठी अनुसूची, स्वायत्त परिषदों पर राज्य के कानूनों, और जनजातीय लोगों के बारे में कानूनों के कार्यों का अध्ययन करने के लिए विशेष टास्क बल बनाएगा और एक वर्ष के अंदर जिला स्तर पर पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था का अनुमोदन करेगा ।

(ii) प्रावधानों को एक संशोधन के रूप में शामिल करने के लिए संसद द्वारा PESA का संशोधन करना

(iii) पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सभी अनुसूचित क्षेत्र राज्यों को इन प्रावधानों को राज्य पंचायत राज अधिनियमों में शामिल करने के लिए संशोधन करने का कानून बनाने के लिए निर्देश जारी किया जाना

(iv) पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 5 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा इन प्रावधानों को शामिल करते हुए निर्देश अधिसूचित करना

(v) पाँचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों को, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक ईकाइयों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करके बुद्धिसंगत बनाऐं जैसे कि ग्राम पंचायत, एवं/अथवा तहसील/तालुक में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये यथासंभव छोटे जिलों में फिर से रेखांकित किए जाएँ। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि PRIs को, एक ही प्रशासनिक ईकाई के अंदर एक ही समय में एक ही संरचना और अधिकारी के माध्यम से एक अनुसूचित क्षेत्र के लिए और दूसरा गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए, कार्यान्वयन कानूनों की जरूरत न पड़े, जो कि अक्सर सह-समापक या परस्पर-विरोधी नहीं हों। अधिकतर जनजातीयों द्वारा आबाद क्षेत्र सटे हुए हैं लेकिन प्रशासनिक सीमारेखाओं द्वारा विभाजित हैं जो उन्हें टुकड़ों में बाँटते, उन्हें बाहर करते और उन्हें हाशिये पर भेजते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उपबन्ध 3 के अंतर्गत और राज्यपाल द्वारा उपबन्ध 5 के अंतर्गत निर्देश जारी किए जाएँ।

3. राज्य पंचायत राज अधिनियमों में PESA को शामिल करते हुए राज्य कानून/ संशोधन का अनुपालन

(i) केन्द्र सरकार ने पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत सभी अनुसूचित क्षेत्र राज्यों को निर्देश जारी किया है कि उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य कानून के उन विशिष्ट प्रावधानों का संशोधन किया जाए जो PESA का अनुपालन नहीं करते ।

(ii) राज्यपाल द्वारा पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 5 के अंतर्गत उन राज्य पंचायत राज अधिनियम का संशोधन करने का निर्देश दिया है जो PESA के असंगत हैं

4. नागरिक कानूनों को PESA के साथ पंक्तिबद्ध करना

(i) केन्द्र सरकार

PESA का अनुवर्ती बनाने के लिए केन्द्र अधिनियमों का संशोधन : जैसे कि खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, तथा भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908 एवं राष्ट्रीय नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय जल नीति, 2002, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2003, राष्ट्रीय वन नीति, 1988, तथा वन्यप्राणी संरक्षण रणनीति, 2002 ।

(ii) राज्य सरकार

(a) राज्य के सभी नागरिक कानूनों को PESA अनुवर्ती बनाने के लिए आलोचनात्मक समीक्षा और संशोधन करना

(b) सरकारों का राज्य नागरिक कानूनों को PESA के साथ संगत बनाने के लिए पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार सभी अनुसूचित क्षेत्र राज्यों को निर्देश जारी करना

(c) राज्य नागरिक कानूनों को PESA के साथ संगत बनाने के लिए प्रावधानों का संशोधन करने के लिए पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 5 के अंतर्गत राज्यपाल का निर्देश अधिसूचित करना ।

5. पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत अब तक नहीं शामिल जनजातीय निवास का समावेश

(i) पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के एक वर्ष के अंदर राज्य द्वारा सभी वासों की, जिनकी जनजातीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक है, सूची बनाना और उनका अनुसूचित क्षेत्रों में समावेश करने के लिए प्रस्ताव बना कर राष्ट्रपति को देना ।

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल किए जाने के राज्यों के सभी प्रस्तावों की राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने और शीघ्र निबटाने के लिए भारत सरकार एक विशेष टास्क बल बनाए ।

(iii) केन्द्र सरकार पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत सभी अनुसूचित क्षेत्र राज्यों को निर्देश देते हुए निर्देश जारी करे कि वे ऐसे जनजातीय वासों की पहचान करें, जिन्हें सूचित किया जा सके या अनुसूचित क्षेत्रें में शामिल किया जा सकता है,

6. भूमि हस्तान्तरण से सुरक्षा और हस्तान्तरित भूमि का पुनःस्थापन

(i) न्यायालय में लंबित भूमि हस्तान्तरण/पुनःस्थापन के मामलों का अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में स्थानान्तरण

(ii) FRA के अंतर्गत मान्यताप्राप्त वन क्षेत्र को शामिल करने के लिए 'गाँवों' के भौगोलिक क्षेत्राधिकार का सीमांकन कर

(iii) गैर-जनजातीय भूमि को किसी अन्य गैर-जनजातीय को (आंध्र प्रदेश के अधिनियम 1/70 के अंतर्गत) और जनजातीयों के बीच स्थानान्तरित करने का निषेध कर, एवं इसके बजाय, सरकार अथवा भूमि दृढ़ीकरण निधि से मुआवजा चुकाते हुए, संबद्ध ग्राम सभा को स्थानान्तरित कर । (नीचे देखें)

(iv) अनुसूचित क्षेत्र की सब भूमि अनुसूचित जनजातियों के हितों की आपूर्ति करे ।

(v) अनुसूचित क्षेत्र वाला हरेक राज्य एक 'भूमि दृढ़ीकरण निधि' (Land Consolidation Fund, LCF) बनाएगा । इस निधि का एक हिस्सा जिला स्तर पर एक नामित प्राधिकार को आबंटित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित

करेगी । नामित प्राधिकार आवश्यक धनराशि ग्राम सभा को देगा इसके क्षेत्राधिकार में किसी भी भूमि को खरीदने के लिए, जिसका उपयोग सम्बद्ध ग्राम सभा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की किसी भी भूमि को बाजार भाव में खरीदने में सक्षम करने के लिए होगा, जिसका स्वामित्व किसी भी निवासी का हो जो जनजातीय हो अथवा नहीं और जो अपनी जमीन बेचना चाहता/चाहती है और जिसने ग्राम सभा को लिखित रूप में इसके लिए आवेदन दिया है । इस प्रकार से खरीदी गई भूमि ग्राम सभा के नाम में होगी और सम्बद्ध ग्राम सभा द्वारा सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अथवा ऐसी भूमि पूर्णतया या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, वास के किसी भूमिहीन जनजातीय व्यक्ति को उपभोग के अधिकार के साथ आबंटित की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उपभोग के अधिकार को निरस्त किया जायेगा और किसी अन्य भूमिहीन जनजातीय व्यक्ति को पुन:आबंटित की जाएगी, अथवा सामान्य समुदायिक जरूरतों के लिए उपयोग में लायी जाएगी ।

(vi) पाँचवी अनुसूची के उपबन्ध 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार और/अथवा उपबन्ध 5 के अंतर्गत राज्यपाल उपर्युक्त के बारे में निर्देश अधिसूचित करेंगे ।

7. जनजातीय मामलों के मंत्रालय की भूमिका को पुन:पारिभाषित करना

जनजातीयों की चिन्ता की सभी बातों से निपटने के लिए मंत्रालय को सशक्त कर, STs के बारे में PESA अंतरमंत्रालयीय समन्वय और इसके FRA के अतिरिक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए । •

अनुवाद – एमानुवेल बाखला